eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

भारत में घरेलू हिंसा एवं महिला मानवाधिकारः वर्तमान परिदृश्य

[1]श्रीमती सुदीपमाला
[1]विभागाध्यक्ष–इतिहास, राजकीयमहाविद्यालय, गौंडा, अलीगढ़ उ0प्र0

Abstract

प्रस्तुत अध्ययन भारत में घरेलू हिंसा एवं महिला मानवाधिकार की वर्तमान परिदृश्य का आंकलन एवं विश्लेषण करने के उद्देश्य से किया गया है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु 180 महिला एवं 180 पुरूष सूचनादाताओं का चयन उ0 प्र0 के जनपद अलीगढ़ से किया गया है। घरेलू हिंसा महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा का एक बहुत ही प्रमुख प्रकार है। हमारे यहाँ महिलायें प्राचीन काल से ही अवमानना, प्रताड़ना, यातनाओं तथा शोषण की शिकार होती रही हैं, कारण कुछ भी रहे हों, इसे नकारा नहीं जा सकता। इस समस्या के लिए व्यक्तित्व तथा परिस्थिति दो उपागम महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार के विगत 20 वर्षों के आंकड़े इसका स्पष्ट प्रमाण हैं कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का ग्राफ निरन्तर बढ़ा है। घरेलू हिंसा के अन्तर्गत मुख्यतः दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, पत्नी को मारना पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, बच्चों, विधवाओं, वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, कौटुम्बिक व्यभिचार आदि आते हैं जिनकी वजह से महिलाओं के समक्ष सामाजिक, आर्थिक तथा भावनात्मक सामंजस्य की समस्यायें जनित हो जाती हैं; साथ ही समाज भी उन्हें हेय दृष्टि से देखता है। परिणामतः वे असहाय और अवसादग्रस्त होकर जीवन जीती हैं। सूचनादाताओं ने महिला अशिक्षा, महिलाओं द्वारा महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा को चुपचाप सहन करते रहना व उत्पीड़क का व्यक्तित्व दोषपूर्ण होना आदि कारकों को घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी बताया है।

शब्द संक्षेप– घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, महिला–मानवाधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम।

Introduction

घरेलू हिंसा महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा का एक बहुत ही प्रमुख प्रकार है। हमारे यहाँ महिलायें प्राचीन काल से ही अवमानना, प्रताड़ना, यातनाओं तथा षोषण की शिकार होती रही हैं, कारण कुछ भी रहे हों, इसे नकारा नहीं जा सकता। इस समस्या के लिए व्यक्तित्व तथा परिस्थिति दो उपागम महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार के विगत 20 वर्षों के आंकड़े इसका स्पष्ट प्रमाण हैं कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का ग्राफ निरन्तर बढ़ा है। घरेलू हिंसा के अन्तर्गत मुख्यतः दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, पत्नी को मारना पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, बच्चों, विधवाओं, वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, कौटुम्बिक व्यभिचार आदि आते हैं जिनकी वजह से महिलाओं के समक्ष सामाजिक, आर्थिक तथा भावनात्मक सामंजस्य की समस्यायें जनित हो जाती हैं; साथ ही समाज भी उन्हें हेय दृष्टि से देखता है। परिणामतः वे असहाय और अवसादग्रस्त होकर जीवन जीती हैं। सूचनादाताओं ने महिला अशिक्षा, महिलाओं द्वारा महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा को चुपचाप सहन करते रहना व उत्पीड़क का व्यक्तित्व दोषपूर्ण होना आदि कारकों को घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी बताया है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

विश्लेषण एवं शोध परिलब्धि :– महिलाओं को आमतौर पर अपराध करने की दृष्टि से आसान लक्ष्य माना जाता है। महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अपराधों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है जो निम्न हैं :–

(अ) हिंसात्मक अपराध (ब) घरेलू हिंसा से सम्बन्धित अपराध (स) सामाजिक अपराध।

राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लोकसभा के द्वारा 24 अगस्त 2005 को और राज्य सभा के द्वारा 29 अगस्त सन् 2005 को पारित हुआ तथा भारत वर्ष के राष्ट्रपति की अनुमति 14 सितम्बर 2005 को भारत का राजपत्र असाधारण रूप में प्राप्त हुयी। इस अधिनियम में कुल 37 धारायें हैं। केन्द्रीय सरकार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियमावली 2006 बनाई जो 26 अक्टूबर 2006 को प्रवृत्त हुयी तब से राश्ट्रीय स्तर पर घरेलू हिंसा कानून 2005 क्रियान्वित किया गया है जो कि संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ताकि महिलाओं और बच्चों पर घरों में होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगाया जा सके। इस कानून का मुख्य उद्देष्य महिलाओं को पुरूषों की हर तरह की हिंसा से सुरक्षा देना है। इसके तहत बिना विवाह के साथ रहने वाली महिलाओं, विधवाओं और बहिनों को भी सुरक्षा मिलेगी। नियम कायदों के उल्लंघन को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जायेगा। दोषी पाये जाने पर एक साल की सजा या 20 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों सजायें मिल सकती हैं। कानून के मुताबिक महिला (पत्नी) के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने या उसे अश्लील चित्र देखने के लिए मजबूर करने, दबाब बनाने या फिर सैक्स कोई ऐसा कार्य जिससे उसे चोट पहुँचती हो घरेलू हिंसा के दायरें में आयेगा। यही बातें बच्चों के मामलों में भी लागू होगी।

इतना ही नहीं, लड़का न पैदा करने के लिए महिला को ताने देना, दहेज के लिए प्रताड़ित करने, यहाँ तक कि उसे गलत नाम से बुलाने, पुकारने उसके बच्चों को स्कूल/कालेज जाने से रोकने वाले पुरूषों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही हो सकेगी। इसके साथ ही महिलाओं व बच्चों को पीटना, थप्पड़ या लात घूंसा मारकर चोट पहुँचाना तथा पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना भी घरेलू हिंसा माना जायेगा। इसी तरह न चाहने वाले व्यक्ति से विवाह के लिए मजबूर करना या फिर चाहने वाले से शादी करने से रोकना भी इसके दायरे में आयेगा इसके अलावा नौकरी करने से रोकना, उसे छोड़ने का दबाव बनाना, महिला या बच्चों को घर में रहने से रोकना, महिला व बच्चों के किराये के मकान का भुगतान न करना, घरेलू सामानों व घर के किसी हिस्से के उपयोग से रोकना, महिला या बच्चों को उनके ही वेतन को खर्च न करने देना, नौकरी में बाधा पहुँचाना, पत्नी और बच्चों को जीवन निर्वाह के लिए धन न देना और रोटी, कपड़ा व दवाई का इन्तजाम न करना भी घरेलू हिंसा माना जायेगा।

घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा–18 में कहा गया है कि इस तरह की हरकतों की स्थिति में पत्नी अपने स्त्रीधन, गहने जेवर और कपड़ों को अपने कब्जे में ले सकेगी। साथ ही ऐसी स्थिति में बिना कोर्ट की इजाजत के संयुक्त बैंक खातों व बैंक लॉकर्स का भी, उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा–19 महिलाओं व बच्चों को यह अधिकार देती है कि उन्हें घर में रहने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे घरों को बेचा भी नहीं जा सकेगा। मकान किराये का

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

होने पर उसी तरह की सुविधा का दूसरा मकान दिलाना बाध्यता होगी। यह अधिनियम महिला उत्पीड़न रोकने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम के बाद भारत में विवाहित रिश्ते जो आज पहले से ही नाजुक स्थिति में आ चुके हैं; और जल्दी टूटने के कगार पर आ जायेंगे। ऐसा लगता है कि अब पति पत्नी के बीच छोटी–छोटी बातें भी राई से पहाड़ बन जायेंगी और महिला कानून का सहारा लेकर पति पर मुकदमा कायम करायेंगी। हालांकि यह सच है कि आज महिला उत्पीड़न की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है लेकिन इस समस्या का समाधान इस कानून के बना देने से नहीं होने वाला। इसके लिए तो हमें सामाजिक रूप से प्रयत्न करने होंगे जिसमें घर, परिवार, समाज तथा समाजसेवी संस्थाओं, गैर शासकीय संगठनों तथा शासन को मुख्य भूमिका निभानी होगी अन्यथा की स्थिति में यह कानून भी ठीक 'ढाक के तीन पात' के समान ही साबित होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विशेषतः महिलाओं के लिए प्रत्यायोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर निम्न प्रमुख विश्व सम्मेलन भी प्रायोजित किए गए :

विशेषतः महिलाओं की प्रस्थिति सुधार हेतु प्रत्यायोजित विश्व/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

क्रम	महिला उत्थान हेतु प्रत्यायोजित विभिन्न विश्व सम्मेलन	वर्ष	आयोजित स्थान
1	प्रथम विश्व सम्मेलन	1975	मैक्सिको सिटी
2	द्वितीय विश्व सम्मेलन	1980	कोपेनहेगेन
3	तृतीय विश्व सम्मेलन	1985	नैरोबी
4	चतुर्थ विश्व सम्मेलन	4–5 सितम्बर 1995	बीजिंग

विभिन्न सन्धियों, अभिसमयों व मानवाधिकार सम्मेलनों तथा संविधान प्रदत्त अधिकारों की प्रभावकारिता, सार्थकता, बालश्रम तथा महिलाओं की स्थिति सुधार के प्रति सामाजिक न्याय एवं जनमानस में जागृत चेतना के प्रसंग में शोधार्थिनी ने आनुभविक तथ्य जानने का प्रयास किया है। भारतीय समाज में नारी को उत्कृश्ट स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय नारी को देवी की उपाधि प्रदान की गयी है। नारी, जो इस सृष्टि में मॉ, बहिन एवं संगिनी बनकर पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है निरन्तर देष को प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने में सर्वथा सहायक रही है। किन्तु दुर्भाग्यवश, वर्तमान समय में भारतीय नारी शोषण का शिकार है। आज नारी को उन्मुक्त व उत्कृष्ट जीवनयापन के लिये जो अधिकार मानवाधिकार के रूप में प्रदत्त है, उनका निरन्तर हनन हो रहा है। कहीं न कहीं तथा किसी न किसी रूप में नारी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से शोषित हो रही है और शोषण का कारण कुछ हद तक भ्रष्टाचार, सहनशीलता व मुख्य कारण अपने अधिकारों के ज्ञान का अभाव है। **(श्रीमती) शीला बर्से द्वारा लगायी गयी याचिका के सम्बन्ध में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गयी बात बहुत महत्वपूर्ण है– 'देश का भविश्य बालकों पर ही निर्भर करता है; जैसे बालकों के संस्कार होंगे वैसा ही देष का भविष्य बनेगा। अतः यह आवश्यक है कि इस नये पौधे को इस प्रकार अंकुरित किया जाय कि वह पल्लवित एवं पुष्पित होकर एक अच्छे एवं सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करें? जब बालकों का भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगता है तो वहॉ भविष्य की**

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

सारी आशायें धूमिल हो जाती हैं।' एम.सी. मेहता[5] बनाम तमिलनाडू राज्य के बाद में (ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 699) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में बालश्रम को समाप्त करने के लिये प्रस्तावित निम्नलिखित व्यवहारिक सुझावों का आयोग समर्थन करता है:

(1) देश भर में बालश्रम विषयक सर्वेक्षण 6 महीने की अवधि में पूरा कर लिया जाय।
(2) रोजगार में रखे गए प्रत्येक बच्चे के लिये 20000/– रूपये नियोजक अपराधी द्वारा, बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन किये जाने की बजह से बालश्रम पुनर्वास सहविकास निधि को भुगतान किया जाय।
(3) राज्य को देखना है कि जिस परिवार का बच्चा संकटापन्न उद्योग में काम कर रहा है उस परिवार के वयस्क व्यक्ति को, बच्चे के बदले कहीं भी रोजगार दिया जाय।
(4) जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध न कराया जा सके तो ऐसे बालक के माता–पिता/अभिभावक को 25000/– रूपये की जमानिधि पर प्रतिमास प्रति बालक जो आय हो, वह दी जाय।
(5) बच्चे को रोजगार से हटाने पर उसकी शिक्षा की किसी उपयुक्त संस्था में व्यवस्था करने का सुनिश्चय किया जाय।

न्यायमूर्ति रंगनाथन की मान्यता है कि 'इंसान का इंसान के साथ सम व्यवहार मानवाधिकार है', मानवाधिकारों घोषणा के प्रथम एवं द्वितीय अनुच्छेद के अनुसार सभी मनुश्य स्वतंत्र पैदा होते हैं तथा गरिमा व अधिकार में समान होते हैं। अतः बिना जाति, रंग, भाषा, मजहब, राजनीतिक मान्यता, मत, राष्ट्रीयता, अथवा सामाजिक स्थिति जन्म, अथवा स्तर के भेद के सभी मनुष्य अधिकारों तथा स्वतंत्रता के अधिकारी हैं।

अध्ययन के उद्देश्य :– प्रस्तुत शोध अध्ययन का मौलिक उद्देश्य ''विधिक परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा से महिलाओं के मानवाधिकारों के संरक्षण'' का अध्ययन एक विधिक दृष्टिकोण से करना है। इसके लिए अनुसंधित्सु ने अध्ययनार्थ निम्न पूरक उद्देश्य भी निर्धारित किये है :–

(1) न्यादर्षों की वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी करना।
(2) महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के स्वरूपों तथा विशेषताओं का अध्ययन करना।
(3) घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करना।
(4) घरेलू हिंसा से व्यक्ति तथा परिवार पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन करना।
(5) उत्पीड़ितों, उत्पीड़कों तथा परिवार के अन्य सदस्यों का घरेलू हिंसा के प्रति दृष्टिकोणों का अध्ययन करना।
(6) घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन से पड़ने वाले प्रभावों के प्रति जनमानस की प्रतिक्रिया जानना।
(7) घरेलू हिंसा अधिनियम–2005 के विभिन्न अधिनियमों में स्त्री तथा उनके बच्चों को जो अधिकार दिये गये हैं, उन धाराओं की जानकारी करना।
(8) समस्या समाधान हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

साहित्य का पुनरावलोकन :– अनुसंधित्सु ने महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के प्रसंगों में पूर्व में किए गए अध्ययनों की समीक्षाएं भी की हैं, जो शोध का एक आवष्यक तथा अनिवार्य सोपान होता है–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

1. **पटवर्धन (2002)** ने आनुभविक अध्ययन जो 300 परिवारों पर किया गया, से ज्ञात होता है, कि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों में विवाहित महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा 17.5 प्रतिशत जिसका कारण उनमें व्याप्त अशिक्षा, प्रथागत नियम तथा निर्धनता है।

2. **सेन गुप्ता (2005)** द्वारा किए गए महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अध्ययन से पता चलता है, कि परिवारों में घरेलू हिंसा का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप पत्नियों की पिटाई, मारना–पीटना, गाली–गलौज करना है। महिलाएं अपने पतियों द्वारा ही पीटी जाती हैं, अन्य सदस्यों द्वारा नहीं। पत्नियों की पिटाई साधारण ही होती है, गम्भीर नहीं। एक ऐसा भी मामला प्रकाश में आया जिसमें पत्नी के द्वारा अपने पति की पिटाई की जाती थी। जिसे अपवाद माना जा सकता है।

3. **आर्या रीना (2006)** द्वारा महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के अध्ययन से जो कारण स्पश्ट होते हैं, उनमें पति की अहं भावना, अधिकार तथा प्रबलता की प्रवृत्ति, पति में हीनता की भावना, परिवार की महिला सदस्यों के पारस्परिक झगड़े, घरेलू व अन्य कार्यों में पति की इच्छानुसार कार्य न करना, पत्नियों का अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही व उदासीनता बरतना, पत्नी का पति की पसंद के अनुरूप न होना, पुत्रियों की अधिक संख्या तथा दहेज की मॉग आदि प्रमुख है। आम तौर पर यह माना जाता है, कि मद्यपान या नषा भी हिंसा का एक कारण है।

4. **राम आहूजा (1987)** ने भी अपने अध्ययन में देखा, कि पत्नी की पिटाई करने वाले पतियों ने अपनी पत्नी को पीठ पीछे बुराई करने वाली, उनकी माता, भाईयों व बहिनों के साथ बुरा व्यवहार करने, घर की उपेक्षा करने, सगे सम्बन्धियों से बुरी बात करने, कुछ लोगों से गलत सम्बन्ध रखने, अपने ससुराल वालों का कहना मानने से इनकार करने उन्हें लड़ाई वाले स्वभाव से क्रुद्ध करना तथा उनके मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करने का दोषी पाया। पति द्वारा पत्नी की पिटाई के साथ परिवार के अन्य सदस्य तटस्थ रहते हैं।

5. **हिलबरमन और मन्सन (2007)** में 73 प्रतिशत मामलों में ऐसा पाया गया है।

6. **बोल्फगैंग (2007)** ने भी अपने आनुभविक अध्ययन में 67 प्रतिशत मामलों में ऐसा पाया।

7. **टिकलेनवर्ग (2007)** ने अपने क्षेत्रीय अध्ययन में 71 प्रतिशत मामलों में ऐसा देखा। पूर्व अध्ययनों से यह पता चलता है कि केवल मद्यपान ही, महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। क्योंकि अधिकतर पति अपनी पत्नी को तब पीटते हैं जब वे शराब पिए नहीं होते हैं। सभी पीड़ित पत्नियॉ यह मानती हैं, कि उनकी गलती होने पर पति द्वारा पीटा जाना उचित है। जबकि उनकी गलती न होने पर उनकी पिटाई अनुचित है।

8. **सीमोन द बोउआ; अपनी पुस्तक 'द सेकण्ड सेक्स' (2002)** में यह स्पश्ट रूप से उल्लेख करती है कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से पुरूषों में शक्ति तथा आक्रामकता के गुण स्वाभाविक रूप से विकसित किए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत स्त्रियों में लज्जा तथा सहनशीलता के गुण विकसित किए जाते हैं। महिलाएं स्वयं

भी यह मानकर चलती हैं कि पुरूष स्त्री से श्रेष्ठ हैं। अतः वह अपनी पत्नी के ऊपर तमाम अधिकार रखता है, यहॉ तक कि मारने पीटने का भी। एक अन्य कारण आर्थिक स्थिति में सुधार होना भी है। इससे मानसिक तनाव में कमी आती है और पति–पत्नी के बीच लड़ाई–झगड़े के अवसरों की सम्भावनाएं भी कम हो जाती हैं।

9. **सिंह एण्ड यादव (2006)** ने अपने अध्ययन में पाया कि वर्तमान में उक्त अधिनियम का दुरूपयोग हो रहा है तथा इस अधिनियम में दोषी को दिये जाने वाला दण्ड किए जाने वाले अपराध की तुलना में अधिक कठोर है तथा सामाजिक धरातल पर इस कानून के तहत झूॅठे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं।

<u>शोध हेतु परीक्षणार्थ परिकल्पनाओं का निर्माण</u> :– प्रस्तावित शोध अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति के लिए निम्नांकित परिकल्पनाएं परीक्षणार्थ निर्मित की गयी हैं, जिनकी सत्यता व सार्थकता के परीक्षण विभिन्न सॉंख्यकीय परीक्षणों **ख्**यथा– काई वर्ग **(X^2)** परीक्षण, सह–सम्बन्ध गुणांक **(r)**] स्टूडेन्ट **(t)** परीक्षण**,** से गणनाएं करके तत्सम्बन्धित तार्किक निष्कर्ष स्थापित किए जायेंगे। परीक्षणार्थ निर्मित परिकल्पनाएं निम्नवत् हैं :–

(1) हिंसात्मक व्यवहार से उत्पीड़ित महिला को शारीरिक/मानसिक आघात पहुँचता है।

(2) वैधनिक जागरूकता एवं शिक्षा के प्रचार–प्रसार से घरेलू हिंसा के प्रति महिला मानवाधिकारों का संरक्षण संभव है।

प्राथमिक तथ्यों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष– प्रस्तुत आनुभविक अध्ययन से (विशेषतः ग्रामीण) महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक/घरेलू हिंसा के जो कारण (कारक) अवलोकन में स्पष्ट हुए हैं; उनमें पति की अहम भावना, अधिकार तथा प्रबलता की प्रवृत्ति, पति में हीनता की भावना, परिवार के महिला सदस्यों के आपसी विवाद, घरेलू व अन्य कार्यों को पति की इच्छानुसार न करना, पत्नी का हठी होना, पत्नियों का अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना, पत्नी का पति की पसन्द के अनुरूप न होना, पुत्रियों की संख्या अधिक तथा दहेज की मॉंग आदि हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जातियों जनजातियों में नशाखोरी तथा आर्थिक कठिनाईयाँ भी पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार तथा घरेलू हिंसा में योगदान देती हैं। बाहरी परिस्थितियों से जनित तनाव भी इसका कारण है। कई बार पति बाहरी कारकों से तनाव ग्रसित होकर जब घर में प्रवेश करते हैं तो अपना सारा क्रोध पत्नी व बच्चों पर उतार देते हैं जिसकी परिणित घरेलू हिंसा रूप में प्रस्फुटित होती है। इन प्राप्त तथ्यों की पुष्टि **राम आहूजा**[5] के अध्ययन के निष्कर्षों से भी होती है। दोषपूर्ण व्यक्तित्व होना तथा महिलाओं में अशिक्षा होना उत्तरदायी कारक स्वीकार किए हैं, परन्तु शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने महिला अशिक्षा, महिलाओं द्वारा महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा को चुपचाप सहन करते रहना व उत्पीड़क का व्यक्तित्व दोषपूर्ण होना, कारकों को घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी बताया है। इन प्राप्त आनुभविक तथ्यों के विश्लेषण के प्रकाश में नि,कर्ष यह है कि ''महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के लिए कोई एक ही कारक उत्तरदायी नहीं है; अपितु इसके लिए विभिन्न (एकाधिक अर्थात् अनेक) कारक उत्तरदायी होते हैं।''

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

तालिका : ''घरेलू हिंसा एवं महिला मानवाधिकार हनन के लिए उत्तरदायी कारक'' – अभिमत

क्रम	महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा हेतु उत्तरदायी कारक	क्या आप घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी मानते हैं (सूचनादाताओं की आवृत्तियाँ/प्रतिषत)				समस्त (प्रतिशत)
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
1	दण्ड विधानों का शिथिल होना, केस प्रक्रिया लम्बी, लचर तथा बिकाऊ न्याय	288 (80.00)	20 (05.56)	40 (11.11)	12 (03.33)	360 (100.00)
2	महिला संगठनों का अभाव तथा महिला कोर्ट न होना, ऐसी महिलाओं को परामर्श व कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन न मिलना	252 (70.00)	35 (09.72)	73 (20.28)	-- (00.00)	360 (100.00)
3	महिलाओं में अशिक्षा के कारण अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव	280 (77.78)	40 (11.11)	35 (09.72)	05 (01.39)	360 (100.00)
4	सामाजिक कुप्रथाएं/कुरीतियाँ (बाल विवाह, पर्दाप्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निशेध)	248 (68.89)	24 (06.67)	88 (24.44)	-- (00.00)	360 (100.00)
5	पारिवारिक तनाव/कुसामंजस्य तथा पति को भर्ता (भरण पोशण करने वाला समझना)	288 (80.00)	51 (14.17)	16 (04.44)	05 (01.39)	360 (100.00)
6	दोषपूर्ण व्यक्तित्व (आत्म सम्मान की कमी, हीनता की भावना होना, सन्देहपूर्ण मानसिकता, क्रूर एवं हिंसक व्यवहार)	251 (69.72)	80 (22.22)	29 (08.06)	-- (00.00)	360 (100.00)
7	हिंसा के प्रति आवाज न उठाना, चुपचाप सहन कर लेना, बचपन से ही उन्हें बुजदिल बना देना	300 (83.33)	-- (00.00)	60 (16.67)	-- (00.00)	360 (100.00)

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

सन्दर्भ–ग्रन्थ–सूची

1. विष्णु स्वरूप – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (2018)
2. अवस्थी सुधा – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (2019)
3. पाण्डेय जे.एन. – भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी 30डी/1, मोतीलाल नेहरूरोड, इलाहाबाद (2019)
4. पाण्डेय जे.एस. – भारत का संविधान यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा0लि0 79, चौड़ा रास्ता, जयपुर (राजस्थान)(2020)
5. बावेल बसन्ती लाल – भारतीय दण्ड संहिता 1872, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन 107, दरभंगा वेस्ट, इलाहाबाद(2016)
6. परांजये एन.बी. – दण्ड प्रक्रिया संहिता, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी 30डी/1 मोतीलाल नेहरूरोड, इलाहाबाद(2015)
7. जाखड दिलीप – मानवाधिकार, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा0लि0 79, चौड़ा रास्ता, जयपुर (राजस्थान)(2014)
8. आहूजा राम – Crime Against Women, Rawat Publications, (Raj.) Jaipur, 2007, p. 227
9. सिंह एस.डी. व यादव यू.पी. – घरेलू हिंसा कानून 2005 तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया– एक अध्ययन, प्रकाषित शोध पत्र, राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका 'सामाजिक सहयोग', वर्ष 2006, अंक 60, सन् 2006–07
10. आर्य रीना – ग्रामीण विवाहित महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा, प्रकाशित शोध पत्र, राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका 'सामाजिक सहयोग', वर्ष 1995 अंक 58, अप्रैल–जून 2006